# हरियाणा सरकार
## स्वास्थ्य विभाग
## अधिसूचना

दिनांक, 16 नवम्बर 2019

**क्रमांकः– 46/13/2019–5एच0बी0–II :–** चूकिं हरियाणा के राज्यपाल संतुष्ट है कि हरियाणा राज्य में भयानक महामारी रोग अर्थात् इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 के फैलने का खतरा है और इस प्रयोजन के लिए इस समय लागू विधि के साधारण प्रावधान अपर्याप्त है। इसलिए अब महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2.1, 3 और 4 द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा तीन वर्ष के लिए (यानि वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–2022) निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:–

1. ये विनियम हरियाणा महामारी रोग इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 नियम, 2019 कहे जा सकते हैं और ये प्रकाशन की तिथि से तीन साल के लिए वैध रहेंगे।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो "महामारी रोग" का अर्थ इन्फ्लुएंजा ए. एच. 1 एन.1 रहेगा।
3. सभी अस्पताल (सरकारी/निजि) इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 का वर्गीकरण जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है तथा एन0सी0डी0सी0 (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंन्द्र, नई दिल्ली) की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का पालन करेंगे।
4. आईसोलेसन वार्ड, वह एकान्त स्थान है जहां सम्बन्धित सिविल सर्जन द्वारा इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 के संदिग्ध/जांच में स्पष्ट मामले इलाज हेतू तथा जांच के नमूना एकत्र करते के लिए घोषित किया गया है।
5. सभी अस्पताल (सरकारी/निजि), स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा को सम्बन्धित सिविल सर्जन के माध्यम से तुरंत ऐसे सभी मामलों, जैसे आई0एल0आई0 (इन्फ्लुएंजा जैसी बिमारी) की सूचना उपलब्ध करवाऐंगे जो कि इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 की श्रेणी– बी में होगी तथा इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 के जांच में सही पाया गया मामला, जोकि उनके सस्थान में रिपोर्ट किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा जारी प्रोटोकॉल तथा दिशानिर्देशों के तहत बिना प्रयोगशाला प्रमाण का इंतजार किए ईलाज के लिए रखा जाएगा।

   क) मामलों की जानकारी की सूचना देने हेतु राज्य व जिलों में तैनात नोडल अधिकारियों का विवरण, उनके सम्पर्क नम्बर व ई–मैल पत्ते सहित स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की वैबसाइट (haryanahealth.nic.in) पर अपलोड किये गये हैं।
6. इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 के सभी मामले, चाहे संदिग्ध हों या जांच में स्पष्ट, बिमारी को फैलने से बचाने के लिए अलग से रखे जाऐंगे।
7. सभी अस्पताल/मेडीकल कॉलेजों में स्क्रीनिंग सेंटर (फ्लू कॉर्नर) स्थापित होने चाहिए ताकि ए0आई0आर0/आई0एल0आई0 के रोगियों की जल्द से जल्द सकीनिंग हो सके।
8. इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 के प्रमाणित निदान का अनुशंसित परीक्षण आ0टी0 पी0सी0आर0 विधि द्वारा केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब में ही करवाए गए मान्य होंगे।
9. स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति/संस्था या संगठन ऐसी कोई भी सूचना या इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 की प्रबन्धन सामग्री का प्रचार प्रसार नही करेगा।
10. स्वाथ्य विभाग, हरियाणा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति/संस्था या संगठन इन्फ्लुएंजा ए. एच.1 एन.1 के प्रकाशन या मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेगा।

11. **अधिसूचना की अवहेलना करने संबंधी नोटिस:** प्रत्येक जिले में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जो चिकित्सा विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, अनेस्थिटिस्ट और जिला महामारी विशेषज्ञ को बतौर सदस्य रखेगी ताकि किसी भी व्यक्ति/संस्थान या संगठन द्वारा इस अधिनियम के तहत विनियम या आदेश की अवहेलना/अलगाव का पुनरीक्षण करेंगे। यदि अवहेलना साबित होती है तो, संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा उस व्यक्ति/संस्था के खिलाफ, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध/अनियमितता दर्शाते हुए, नोटिस जारी किया जाऐगा। उस नोटिस की एक प्रति संबंधित जिला के सिविल सर्जन को भी भेजी जाएगी।

12. उस व्यक्ति/संस्था या संगठन से प्राप्त हुए नोटिस के उत्तर को जिला कमेटी द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा। यदि नोटिस के प्राप्त होने पर उसका उत्तर निर्धारित समयावधि के बीच प्राप्त न हुआ या कमेटी सदस्यों द्वारा उत्तर सन्तोषजनक न पाया गया और यह प्रमाणित हो जाए कि व्यक्ति/संस्था या संगठन ने इस अधिसूचना के विनियमों की अवहेलना की है तो जिला के सिविल सर्जन एपीडेमिक डिजीज एक्ट तथा इन विनियमों की धारा 11 के अन्तर्गत संबंधित व्यक्ति/संस्था या संगठन के विरूद्ध कार्यवाही करेगा।

13. **दण्ड:** कोई भी व्यक्ति/संस्था या संगठन इस बनाये गये अधिनियम के किसी नियम या आदेश की उलंघना करता है, वह भारतीय दण्ड संहिता (45 आफ 1860) की धारा 188 के अन्तर्गत दण्ड का भागी समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत नियमों या आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले व्यक्ति/संस्था या संगठन को जिला प्रशासन दण्डित कर सकता है।

14. **इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा:** इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य या नेक नियति से किये गये कार्य करने के विरूद्ध कोई भी न्यायिक या कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

15. यह नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होगें और इनके प्रकाशन की तिथि से तीन साल तक वैध रहेंगे।

**राजीव अरोड़ा**
**अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग।**

**दिनांक, 18.11.2019**

**पृष्ठांकन संख्या 46/13/2019–5एच.बी.II**

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं सामग्री विभाग हरियाणा चण्डीगढ को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्त अधिसूचना नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सिविल सचिवालय चण्डीगढ़ से प्राप्त होने उपरांत हरियाणा सरकार के असाधारण गजट मे प्रकाशित करे।

- Sd -
**अधीक्षक स्वास्थ्य शाखा II**
**कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग।**

इसकी एक प्रति नोडल अधिकारी स्वास्थ्य विभाग (स्वास्थ्य शाखा–III) हरियाणा सिविल सचिवालय को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्त अधिसूचना को अपलोड करके इसे नियंत्रक, मुद्रण एवं सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ को वेब साइट के माध्यम से शीघ्र भेजे ताकि नियंत्रक, मुद्रण एवं सामग्री विभाग हरियाणा, चण्डीगढ इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करवा सके।

- Sd -
**अधीक्षक स्वास्थ्य शाखा II**
**कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग।**

सेवा में

नोडल अधिकारी

स्वास्थ्य विभाग ( स्वास्थ्य शाखा–III )

हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़

**अशा कमांक 46/13/2019–5एच.बी.II** **दिनांक चण्डीगढ 15.11.2019**

**पृष्ठांकन संख्या 46/13/2019–5एच.बी.II** **दिनांक चण्डीगढ 15.11.2019**

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालना करने हेतू भेजी जाती है:–

1. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाऐं, हरियाणा, सैक्टर–6 पंचकुला को उनकी एकल फाईल सी0एफ0एम0एस0 नं0 30688 दिनांक 08.11.2019 के संदर्भ में। उनसे अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित को वितरित करें।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा।
3. सभी मडंल आयुक्त, हरियाणा।
4. सभी उप–आयुक्त, हरियाणा।
5. सभी निदेशक, कार्यालय महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं।
6. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (ई0एस0आई0), हरियाणा, ताकि वह सभी (ई0एस0आई0) संस्थानों में प्रसार कर सके।
7. निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा।
8. निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा।
9. निदेशक, पंडित भगतव दयाल, स्नातकोत्तर संस्थान, चिकित्सा विज्ञान, रोहतक, हरियाणा।
10. निदेशक, बी0पी0एस0 चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, जिला सोनीपत, हरियाणा।
11. निदेशक, कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय, जिला करनाल, हरियाणा
12. निदेशक, शहिद हसन खान मेवाति, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नलहड़ जिला मेवात, हरियाणा।
13. निदेशक, महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय, अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा।
14. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा संघ, हरियाणा, सभी सदस्यों को सूचना और प्रसार के लिए, हरियाणा।
15. सभी सिविल सर्जन, हरियाणा के लिए ताकि वह सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, निजि चिकित्सा महाविद्यालयों, भारतीय चिकित्सा संघ व पंजिकृत चिकित्साकों को प्रसार कर सके ताकि यह लागु हो पाए।

**अधीक्षक स्वास्थ्य शाखा II**
**कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग।**